



फॉर्म क्र. 300 (संशोधित 2022) / Form No. 300 (Revised 2022)
स्वयं के जीवन पर बीमा हेतु प्रस्ताव पत्र
PROPOSAL FOR INSURANCE ON OWN LIFE
 (अवयस्कों के बीमा के लिए इसका उपयोग न करें)
 (Not to be used for Insurance on the Lives of minors)

नवीनतम कलर
 पासपोर्ट आकार का फोटो
 Latest Colour
 Photo
 of the life to be
 assured

मंडल / Division :

शाखा कार्यालय / Branch Office :

प्रस्ताव फार्म भरने के लिए निर्देश / INSTRUCTIONS TO LIFE TO BE ASSURED

- यह फार्म प्रस्तावक या जिसका जीवन बीमाकृत होना है उसके द्वारा स्पष्ट बोल्ट अक्षरों में पूरा भरा जाना है।
- This form is to be completed in **BLOCK LETTERS** by the Life to be Assured.
- इस फॉर्म में 4 सेक्शन हैं, जैसे **सेक्शन I**: बीमा हेतु प्रस्तावित व्यक्ति का विवरण **सेक्शन II**: प्रस्तावित योजना **सेक्शन III**: व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वास्थ्य और आदतों का विवरण **सेक्शन IV**: घोषणा
- This form contains 4 sections namely **Section I** : Details of Life to be assured **Section II** : Proposed Plan Details, **Section III** : Details of personal and family health and habits **Section IV** : Declaration.
- कृपया सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और विवरण को सच्चाई से भरें।
- Please read all the questions carefully and fill up the details truthfully.
- कृपया सुनिश्चित करें कि आप आवश्यकतानुसार सभी स्थानों पर अपने हस्ताक्षर करें। कुछ स्थानों पर एक से अधिक हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। यह आपके हित में है।
- Please ensure that you affix your signatures in all the places as required. In certain places more than one signature is required. This is in your own interest.
- यदि, जिसका जीवन बीमित किया जाना है, स्थानीय भाषा में हस्ताक्षर करता है या इस पर अपने अंगूठे का निशान लगाता है तो संबंधित घोषणा पूरी की जानी चाहिए।
- If the Life to be Assured signs this proposal in vernacular or puts his / her thumb impression upon it, then the respective declaration must be completed.
- उत्तर स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर 'हाँ' या 'नहीं' में दिया जाना चाहिए। (स्ट्रोक / डॉट्स / डैश / सवाल अनुत्तरित छोड़ने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा)। सकारात्मक उत्तर के मामले में विवरण प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- Answers should be legible. Questions should be answered in 'Yes' or 'No'. (Strokes / dots / dashes / leaving the questions unanswered will not be accepted). Details need to be provided in case of affirmative answers.
- जिसका जीवन बीमा हेतु प्रस्तावित हो उसके द्वारा इस प्रपत्र में काटे गए/निरस्त किए गए या परिवर्तन पर प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए। सफेद स्याही का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- The Life to be Assured must countersign any cancellation or alterations made in this form. **WHITE INK MUST NOT BE USED.**

अधिकर्ता/मध्यस्थ द्वारा भरा जाये / To be filled by Agent/Intermediary :		कार्यालय उपयोगार्थ / For Office use :	
1. डी.ओ./सीएलआई/मुख्य आयोजक/मध्यस्थ/सलाहकर्ता कोड संख्या और मोबाईल नंबर D.O./CLIA/Chief Organizer/Intermediary Agency Code No. & Mobile Number :		आवक संख्या : Inward No. : _____	
2. अधिकर्ता/निर्दिष्ट व्यक्ति/डीएसई/सुप. अधिकर्ता का नाम और कोड क्रमांक और मोबाईल नंबर : Agent's/Specified Person's/DSE's/Sup Agent's Name, Code No. & Mobile No. :		दिनांक / Date : _____ प्रस्ताव संख्या: Proposal No. : _____ जमा की गई राशि: Amount of Deposit : _____	
3. लाइसेंस/पंजीकरण संख्या Licence No./Registration No. : _____	4. समाप्ति तिथि: Date of Expiry _____	बी.ओ.सी. क्रमांक B.O.C. No. : _____ दिनांक / Date : _____	

खंड - I : बीमित किये जाने वाले व्यक्ति का विवरण / Section-I : Details of the Life to be assured

I. व्यक्तिगत विवरण / Personal Details				
	उपसर्ग / Prefix	पहला नाम / First Name	मध्य नाम / Middle Name	अंतिम नाम / Last Name
1.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) Name (Mr./Mrs./Ms./Mx.)			
2.	पिता का पूरा नाम / Father's Full Name			
3.	माता का पूरा नाम / Mother's Full Name			
4.	लिंग / Gender	पु./ Male <input type="checkbox"/>	स्त्री / Female <input type="checkbox"/>	अन्य लिंग / Third Gender <input type="checkbox"/>
5.	वैवाहिक स्थिति / Marital Status			
6.	पति/पत्नी का पूरा नाम / Spouse's Full Name			
7.	जन्म तारीख / Date of Birth		8. आयु / Age **	वर्ष / Years
** योजना की शर्तों के आधार पर, प्रीमियम की गणना के लिए आयु पूर्व जन्मदिन/आवु निकटतम जन्मदिन लागू किया जाएगा ** Depending upon the plan conditions, Age last birthday / Age nearer birthday shall be applied for the Calculation of premium				
9.	जन्म स्थान/ Place/ City of Birth			
10.	प्रस्तुत किया गए आयु प्रमाण की स्वरूप / Nature of Age Proof Submitted			

11.	राष्ट्रीयता / Nationality		
12.	नागरिकता / Citizenship		
13.	पत्राचार का पता / Correspondence Address		
	मकान संख्या तथा रास्ता/House No. & Road	शहर / कस्बा / गाँव / City / Town / Village	
		जिला और राज्य / District & State	
	डाक घर / Post Office	पिन कोड / PIN Code	
		देश / Country	
		दूरभाष:(एसटीडी कोड सहित) / Tel. No. with STD Code	
14.	स्थायी पता / Permanent Address		
	मकान संख्या तथा रास्ता/House No. & Road	शहर / कस्बा / गाँव / City / Town / Village	
		जिला और राज्य / District & State	
	डाक घर / Post Office	पिन कोड / PIN Code	
		देश / Country	
		दूरभाष:(एसटीडी कोड सहित) / Tel. No. with STD Code	
15.	आवासीय स्थिति / Residential Status	निवासी भारतीय/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के विदेशी नागरिक / Resident Indian / Non Resident Indian / Foreign National of India Origin	
		क्या वैध भारत के विदेशी नागरिक है ? हाँ / नहीं / Whether holding valid Overseas Citizen of India Card (OCI Card) Y / N	
16.	विदेश का पता (केवल एन आर आई/एफ. एन.आई.ओ/ओ सी आई हेतु) Address outside India (Applicable only for NRI/FNIO)		
	मकान संख्या / House No. & Road Name	शहर / कस्बा / गाँव / City / Town / Village	
		जिला और राज्य / District & State	
	देश / Country	पिन कोड / PIN Code	
II.	के. वाई.सी और पी एम एल ए / KYC & PMLA		
1.	क्या आप एक आयकर दाता हैं ? / Are you Income Tax Assessee	हाँ / नहीं Y / N	
2.	स्थायी खाता संख्या (PAN) / Permanent Account Number (PAN)		
3.	आई.डी. विवरण (केवल पैन कार्ड जमा नहीं होने पर उत्तर दिया जाएगा)/ID details (to be answered only if PAN card copy is not submitted)		
	* आधार संख्या के मामले में केवल अंतिम चार अंको को आईडी नंबर के रूप में दिया जाना है /		
	* In case of Aadhaar only last four digits is to be given as ID number		
	पहचान का प्रमाण / Proof of Identity		
	आई डी नंबर / ID number *		
	आई डी की समाप्ति तिथि / Expiry date of ID		
4.	पते का प्रमाण प्रस्तुत किया / Address Proof Submitted		
5.	क्या आप जी एस टी के तहत पंजीकृत हैं, यदि हाँ तो जी एस टी आई एन दें Are You Registered under GST, if yes give GSTIN :		
6.	सी के वाई सी नंबर (केन्द्रीय के वाई सी रजिस्ट्री) C KYC number (Central KYC Registry)		
III.	व्यवसाय / Occupation		
1	शैक्षणिक योग्यता Educational Qualification	2	वर्तमान व्यवसाय Present Occupation
3	आय के स्रोत Sources of Income	4	वर्तमान नियोगकर्ता का नाम / पेंशन अथरिटी Name of the present employer/Pension Authority
5	कार्य का यथार्थ स्वरूप / व्यवसाय Exact Nature of duties / Business	6	पूर्ण की गई सेवा की अवधि Length of Service
7	वार्षिक आय Annual Income		

8.	यदि आप सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं, तो कृपया उत्तर दें / To be answered if employed in the Armed Forces :				
	सेना के विंग जिससे आप संबंधित हैं Wing to which you belong (a)	उसमें आप की रैंक Rank therein (b)	विगत स्वास्थ्य परीक्षा की तिथि Date of last Medical Examination (c)	मेडिकल जांच के बाद स्वास्थ्य श्रेणी Medical category after Medical Examination (d)	क्या आप कभी ए-1 श्रेणी से नीचे रहे हैं यदि ऐसा है तो कब? Were you ever below A-1 category? if so, when? (e)

IV अन्य / Others

1	क्या आप का व्यवसाय किसी विशेष जोखिम से संबंधित है या आप ऐसी किसी खतरनाक गतिविधियों में भाग लेते हैं या ऐसे शौक हैं जो किसी प्रकार से खतरनाक हो सकते हैं? यदि हाँ तो इसकी जानकारी दे और संबंधित प्रश्नावली प्रस्तुत करें। Is your occupation associated with any specific hazard or do you take part in hazardous activities or have hobbies that could be dangerous in any way? If yes, give details and submit respective questionnaire.
2	क्या आपको विरुद्ध कभी भी या वर्तमान में, भारत या विदेश में किसी न्यायालय में किसी आपराधिक/सिविल अपराध के संबंध में दोषी ठहराया गया है या वर्तमान में कोई जांच की जा रही है अथवा आपके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई है या कोई मुकदमा चलाया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें। Have you ever been or are currently being investigated, charge sheeted, prosecuted or convicted or having pending charges in respect of any criminal/civil offences in any court of law in India or abroad? If yes, give details.
3	क्या आप राजनैतिक रूप में जोखिमपूर्ण व्यक्ति हैं या आप राजनैतिक रूप में जोखिमपूर्ण व्यक्ति के परिवार के सदस्य या नजदीकी रिश्तेदार हैं? (भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, राजनीति रूप में जोखिमपूर्ण व्यक्ति वह है जिन्हें अभी या कभी भी किसी दूसरे देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गये हैं।) Are you a Politically Exposed Person OR are you a family member or close relative of Politically Exposed Person? (As per RBI guidelines PEPs are the individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in a foreign country.)

V विद्यमान बीमा : कृपया भा. जी.बी. निगम से तथा किसी अन्य बीमा कंपनी से ली गई अपनी सभी पिछली बीमा पॉलिसियों का विवरण दे (पिछले 3 वर्षों के दौरान समर्पित तथा कालातीत पॉलिसियाँ सहित) Existing Insurance : Please give details of your previous insurance taken from LIC as well as from other insurers (INCLUDING POLICIES SURRENDERED / LAPSED DURING LAST 3 YEARS)

नोट :1. यदि सभी विद्यमान पॉलिसियों के लिए स्थान पर्याप्त नहीं है, तो कृपया समान प्रारूप में अलग शीट का उपयोग करें। यह शीट बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए

Note : 1. If space is not sufficient for all existing policies, please use separate sheet in the same format. It must be duly signed by the life to be assured.

नोट :2. यदि विगत 3 वर्षों के अंदर कोई पॉलिसी कालातीत हो गई या चुकता पॉलिसी में परिवर्तित करा दी गयी हो, तो समान्यतः निगम कोई नया प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है।

Note : 2. Corporation normally does not entertain any fresh proposal for Insurance where a policy has lapsed or has been converted into paid up policy within the last 3 years.

पॉलिसी संख्या Policy Number	मंडल या शाखा का नाम/बीमा कंपनी का नाम Name of the Insurer / Division / Branch	योजना एवं अवधि Plan & Term	मूल योजना का बीमा धन Sum Assured on Main Plan	अवधि बीमा राईडर बीमित राशि Term Assurance Rider Sum Assured	गंभीर बीमारी राईडर बीमित राशि Critical illness Rider Sum Assured	दुर्घटना हितलाभ / अतिरिक्त दुर्घटना हितलाभ की बीमा राशि / AB / ADDB Sum Assured	प्रारंभ होने की तिथि Date of Commencement	पुनर्चलन की तिथि Date of Revival	क्या साधारण दरों पर स्वीकृत, अगर नहीं तो विवरण दें / Whether accepted at ordinary rate, if not give details	चिकित्सा या गैर-चिकित्सा Medical Or Non Medical	क्या चालू स्थिति में है / Whether in force	यदि नहीं, तो प्रथम अदत प्रीमियम या समर्पण की तारीख If not, Date of FUP/ Date of surrender
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

14.	क्या निगम के किसी भी कार्यालय में या किसी अन्य बीमा कम्पनी में कभी भी आपके जीवन पर कोई प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है (या पॉलिसी के पुनर्चलन के लिए आवेदन पत्र) है : Has a proposal (or an application for revival of a policy) on your life made to any office of the Corporation or to any other insurer ever been :	उत्तर 'हाँ' या 'नहीं' में दीजिए Answer 'Yes' or 'No'	यदि उत्तर 'हाँ' है तो पूरा विवरण दीजिए If yes, give details
	क) वापस लिया गया स्थगित, समाप्त आ अस्वीकृत कर दिया गया है? यदि उत्तर हाँ, तो पूर्ण विवरण दीजिए a) Withdrawn, Deferred, Dropped or Declined? If yes, give details.		

	ख) अतिरिक्त प्रीमियम या गहन सहित स्वीकार किया गया? यदि उत्तर हाँ, तो पूर्ण विवरण दीजिए b) Accepted with Extra Premium or Lien? If yes, give details		
	ग) प्रस्तावित की गई शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तों पर स्वीकार किया गया? यदि उत्तर हाँ तो पूर्ण विवरण दीजिए c) Accepted on terms other than those proposed? if yes, give details		
	घ) क्या आपने गत एक वर्ष में निगम की कोई पॉलिसी स्वीकार्य नहीं होने के कारण, वापस की है? यदि उत्तर हाँ तो पूर्ण विवरण दीजिए d) Have you during the past one year returned any policy of the Corporation as the same was not acceptable to you? If yes, give details :		
VI	नामांकित और नियुक्त व्यक्ति का विवरण / Details of Nominee and appointee (नामांकन की सुविधा का नाम उठाना प्रस्तावक के हित में है। It is in the interest of the life to be assured to avail the facility of nomination)		
	नामित का प्रकार : एक / एक से अधिक / क्रमिक / Type of Nomination : Single / Multiple / Successive		
	1. एक से अधिक नामित होने पर अंश का प्रतिशत दे / Please given % share in case of multiple nomination 2. यदि नामित व्यक्ति अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति का विवरण / In case of Minor Nominee please give Appointee details 3. क्रमिक नामांकन होने पर कृपया नामांकन का परिशिष्ट दे / In case of successive nomination please complete the addendum for successive nomination		
	नामित व्यक्ति का पूरा नाम एवं पता Name and address of Nominee(s)	% हिस्ता/ % Share	आयु Age
			बीमित व्यक्ति के साथ संबंध Relationship with the Life to be assured
	यदि नामित व्यक्ति अवयस्क है, नियुक्त व्यक्ति का पूरा नाम, आयु एवं पता If Nominee is a minor, appointee's full name, age and address	नामित व्यक्ति के साथ सम्बन्ध Relationship to the nominee	सहमति के संकेत के स्वरूप में नियुक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर Signature of Appointee as token of consent
	नामित/नियुक्त व्यक्ति का आईडी प्रमाण / Id proof of Nominee/Appointee		
	आईडी संख्या / ID Number		
VII	बैंक का विवरण / Bank Details	बैंक खाता विवरण / Bank Account details :	
	क) खाते का प्रकार-बचत/चालू a) Type of Account-Saving / Current		
	ख) आप का खाता संख्या / b) Your Account No. :		
	ग) एम.आई.सी.आर. कोड / c) MICR Code :	घ) आई.एफ.एस. कोड / d) IFS Code :	
	ड) आप के बैंक का नाम और पता / Name and Address of your bank:		
	प्रपत्र के साथ रद्द किया गया चेक या चेक की प्रतिलिपि संलग्न करें/ Attach a photocopy or cancelled cheque with the form		
	बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का मोबाइल नं. / Mobile number of the life to be assured _____		
	बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का ई-मेल आईडी / E-mail ID of the life to be assured _____		
	(बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान) (Signature or Thumb impression of the life to be assured)		

खंड -II : प्रस्तावित योजना / Section-II : Proposed Plan Details

I	बीमे का उद्देश्य / Objective of Insurance	बचत / जोखिम कवर / बचत और जोखिम कवर / Saving / Risk Cover / Saving and Risk Cover
II	प्रस्ताव किसके तहत है (कृपया प्रासंगिक विकल्प पर टिक करें) Whether proposal is under (please tick relevant options)	व्यक्तिगत जीवन / नियोक्ता-कर्मचारी योजना / एचयूएफ / एमडबल्यूपी ** Individual life / Employer-Employee Scheme / HUF / MWP **
	** नोट : यदि प्रस्ताव व्यक्तिगत जीवन के तहत नहीं है, तो कृपया प्रस्ताव पत्र के साथ संबंधित प्रश्नावली / अनुलग्नक / समर्थक दस्तावेज जमा करें ** Note : If proposal is not under individual life, please submit relevant questionnaire / annexure/supporting documents along with the proposal form	
III	कृपया मूल योजना के साथ राइडर्स को टिक करें जिसे आप योजना की शर्तों के अनुसार प्राप्त करना चाहते हैं Please Tick the Riders which you want to avail along with the base plan as per the Plan conditions	
	1. एलआईसी का नया अबधि राइडर / LIC's New Term Assurance Rider	<input type="checkbox"/>
	2. एलआईसी का नया गम्भीर बीमारी हितलाभ राइडर / LIC's New Critical Illness Benefit Rider	<input type="checkbox"/>

	3. एलआईसी का प्रीमियम परित्याग हितलाभ राइडर / LIC's New Premium waiver Benefit Rider <input type="checkbox"/>														
	4. एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर (एबी) / LIC's Accident Benefit Rider (AB) <input type="checkbox"/>														
	या OR <input type="checkbox"/>														
	एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता हितलाभ राइडर (एडी और डीबी) LIC's Accident Death and Disability benefit Rider (AD&DB) <input type="checkbox"/>														
IV	बीमे के लिये प्रस्तावित व्यक्ति द्वारा चयनित योजना बीमा राशि और राइडर का चयन (राइडर्स चयनित योजना के तहत उपलब्धता के अधीन है) Plan, Sum assured and Rider selected by the Life to be assured (Riders are subject to availability under the selected plan)														
a	<table border="1"> <thead> <tr> <th>योजना, अवधि और प्रीमियम भुगतान अवधि Plan, Term & Premium paying Term</th> <th>प्रस्तावित बीमाधन (मूल बीमाधन) Sum Proposed (Basic Sum Assured)</th> <th>प्रीमियम भुगतान बिधि (वा./ अर्ध वा./ तिमाही/एसएसएस/ एन ए सी एच/एकल) Mode of Premium Payment (Yly/Hly/Qly/ SSS/NACH/Single)</th> <th>अवधि राइडर बीमा राशि (यदि प्रस्तावित हो तो) Term Rider Sum Proposed (If opted)</th> <th>क्रिटिकल बीमारी की प्रस्तावित बीमाधन (यदि चुना गया) Critical illness sum proposed (if opted)</th> <th>दुर्घटना हितलाभ राशि प्रस्तावित (यदि चुना गया) Accident benefit sum proposed (if opted)</th> <th>यदि पॉलिसी पूर्व दिनांकत है तो दिनांक इंगित केर If policy is to be dated back indicate date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	योजना, अवधि और प्रीमियम भुगतान अवधि Plan, Term & Premium paying Term	प्रस्तावित बीमाधन (मूल बीमाधन) Sum Proposed (Basic Sum Assured)	प्रीमियम भुगतान बिधि (वा./ अर्ध वा./ तिमाही/एसएसएस/ एन ए सी एच/एकल) Mode of Premium Payment (Yly/Hly/Qly/ SSS/NACH/Single)	अवधि राइडर बीमा राशि (यदि प्रस्तावित हो तो) Term Rider Sum Proposed (If opted)	क्रिटिकल बीमारी की प्रस्तावित बीमाधन (यदि चुना गया) Critical illness sum proposed (if opted)	दुर्घटना हितलाभ राशि प्रस्तावित (यदि चुना गया) Accident benefit sum proposed (if opted)	यदि पॉलिसी पूर्व दिनांकत है तो दिनांक इंगित केर If policy is to be dated back indicate date							
योजना, अवधि और प्रीमियम भुगतान अवधि Plan, Term & Premium paying Term	प्रस्तावित बीमाधन (मूल बीमाधन) Sum Proposed (Basic Sum Assured)	प्रीमियम भुगतान बिधि (वा./ अर्ध वा./ तिमाही/एसएसएस/ एन ए सी एच/एकल) Mode of Premium Payment (Yly/Hly/Qly/ SSS/NACH/Single)	अवधि राइडर बीमा राशि (यदि प्रस्तावित हो तो) Term Rider Sum Proposed (If opted)	क्रिटिकल बीमारी की प्रस्तावित बीमाधन (यदि चुना गया) Critical illness sum proposed (if opted)	दुर्घटना हितलाभ राशि प्रस्तावित (यदि चुना गया) Accident benefit sum proposed (if opted)	यदि पॉलिसी पूर्व दिनांकत है तो दिनांक इंगित केर If policy is to be dated back indicate date									
b	<p>पुलिस कार्मिकों हेतु लागू, यदि एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर / एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हितलाभ राइडर को चुना गया है / Applicable to Police Personnel if LIC's Accident Benefit Rider / LIC's Accidental Death And Disability Benefit Rider is opted for :</p> <p>i. क्या आप अर्धसैनिक बल के अलावा किसी भी पुलिस संगठन में पुलिस ड्युटी में लगे हुए हैं? यदि "हाँ" Whether you are engaged in police duty in any police organization other than paramilitary force? If "Yes":</p> <p>a. क्या आप पुलिस ड्युटी पर रहते हुए दुर्घटना हितलाभ राइडर / एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हितलाभ राइडर का लाभ उठाना चाहते हैं? Whether you wish to avail the AB/AD & DB rider while on police duty?</p>														
c	<p>एस एस एस पॉलिसियों के लिए / For SSS Policies :</p> <p>i. भुगतान अधिकारी का कोड एवं विभाग संख्या Paying authority code and Dept No.</p> <p>ii. बैज या एसआर नं / Badge or SR No.</p>														
V	<p>केवल अवयस्क जीवन बीमा के मामले में यदि "एलआईसी का प्रीमियम परित्याग हितलाभ राइडर प्रस्तावित हो, तो उत्तर अपेक्षित है। / To be answered only if proposing for "LIC's Premium Waiver Benefit Rider" In case of Insurance on Minor Life</p> <p>इस राइडर के तहत प्रीमियम परित्याग हितलाभ, मूल पॉलिसी में प्रस्तावक की मृत्यु से राइडर की अवधि की समाप्त होने तक देय प्रीमियम के परित्याग के बराबर होगा। तथापि, यदि इस राइडर के अतिरिक्त, मूल पॉलिसी के तहत, अन्य राइडर चुना जाता है तो सम्बंधित प्रीमियम का संबंधित राइडर शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाना जारी रहेगा। पुनः यदि मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि "एलआईसी के प्रीमियम परित्याग हितलाभ राइडर" की समाप्ति की तारीख के बाद है तो मूल पॉलिसी के सभी प्रीमियम बीमार्यों द्वारा मूल पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार देय होंगे।</p> <p>Premium Waiver Benefit under this rider shall be equal to waiver of premiums payable under the Base Policy falling due on and after the date of death of Proposer till the expiry of rider term.</p> <p>However, premiums in respect of any riders. If opted for, other than this rider under the base policy shall not be waived and continue to be paid as per respective rider conditions.</p> <p>Further if premium paying term of the base policy exceeds the rider term all the premiums due under the base policy from the date of expiry of "LIC's Premium Waiver Benefit Rider" shall be payable by the Life Assured as per the terms and conditions of the Base policy.</p> <p>क्या आप उपरोक्त से सहमत हैं / Do you agree with the above <input type="checkbox"/> हाँ / ना / Yes / No</p> <p>नोट: एलआईसी के प्रीमियम परित्याग हितलाभ राइडर के प्रस्ताव पर विचार तभी किया जाएगा, यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर "हाँ" है। Note : Proposal shall be considered for LIC's Premium Waiver Benefit Rider only, if your answer to be above question is "Yes"</p>														
VI	<p>"एल आई सी आधार शिला" तथा "एल आई सी आधार स्तम्भ" के तहत प्रस्तावित होने पर ही उत्तर अपेक्षित है। / To be answered only if proposing under "LIC's Aadhaar Stambh" or "LICs Aadhaar Shila"</p> <p>a. एलआईसी के आधार शिला / एलआईसी का आधार स्तम्भ के तहत कुल बिद्यमान (विचाराधीन प्रस्ताव को जोड़कर) बीमित राशि Total existing (excluding the proposal under consideration) sum assured under LIC's Aadhaar Shila / LIC's Aadhaar Stambh : _____</p> <p>b. क्या इस योजना के तहत आपका जीवन एक ही समय पर एक साथ प्रस्तावित किया जा रहा है? हाँ / नहीं। यदि "हाँ", विवरण दें ' Is your life being proposed simultaneously under the same plan? Yes / No. If "Yes", give details :</p> <p>नोट: एलआईसी के आधार स्तम्भ या एलआईसी की आधार शिला के तहत किसी व्यक्ति पर कुल बीमित राशि रु 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। Note : The total Sum Assured under LIC's Aadhaar Stambh or LIC's Aadhaar Shila on an a individual should not exceed Rs. 3 lakhs.</p>														
VII	<p>"योजना के विनिर्देशों और एल आई सी की जीवन अमर के अनुसार लागू होने पर ही उत्तर दिया जाए। To be answered only if applicable as per Plan specifications and for LIC's Jeevan Amar</p> <p>a. आप किस श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहते हैं? (निम्न में से एक टिक करें) Under which category do you wish to apply? (Tick one of the following)</p> <p>i) धूमपान करने वाला Smoker <input type="checkbox"/> ii) धूमपान न करने वाला Non Smoker <input type="checkbox"/></p> <p>नोट: धूमपान न करने की दर केवल मूत्र कोटिनिन टेस्ट के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी। Note : Non-smoker rates will be offered only on the basis of findings of Urine Cotinine Test.</p> <p>b. मृत्यु लाभ के बारे में प्रश्न : कृपया मृत्यु पर बीमित राशि के लिए विकल्पों में से एक का चयन करें (अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त बॉक्स में टिक करके (क) : Question regarding Death Benefit : Please select one of the options for Sum Assured on Death (by ticking (✓) in the appropriate box) depending upon your specific needs.</p> <p>विकल्प I : "लेवल सम एश्योर्ड", जहां मृत्यु पर बीमित राशि मूल राशि के बराबर राशि होगी पूरे पॉलिसी अवधि में स्थिर रहेगा। <input type="checkbox"/></p> <p>Option I : "Level Sum Assured", where Sum Assured on Death shall be an amount equal to Basic Sum Assured and shall remain constant throughout policy term. <input type="checkbox"/></p> <p>विकल्प II : "बीमा धन में वृद्धि", जहां मृत्यु पर बीमित राशि, पांचवें पॉलिसी वर्ष के पूरा होने तक मूल बीमा राशि के बराबर रहेगी। इसके बाद, यह छठी वर्ष से पंद्रहवीं वर्ष तक हर साल मूल बीमा राशि के 10% तक बढ़ जाती है जब तक कि यह मूल बीमा राशि से दोगुना नहीं हो जाता। यह वृद्धि पॉलिसी अवधि के अंत तक एक इनफोर्स पॉलिसी</p>														

के तहत जारी रलेगी; या मृत्यु की तारीख तक; पंद्रहवीं वर्ष तक, जो भी पहले हो। सोलहवीं वर्ष और उसके बाद से, मौत पर बीमित राशि स्थिर बनी रहती है यानी पॉलिसी की अवधि समाप्त होने तक मूल बीमाराशि से दोगुना।

Option II : "Increasing Sum Assured", where Sum Assured on Death shall remain equal to Basic Sum Assured till completion of fifth policy year. Thereafter, it increases by 10% of Basic Sum Assured each year from the sixth policy year till fifteenth policy year till it becomes twice the Basic Sum Assured. This increase will continue under an inforce policy till the end of policy term; or till the Date of Death, or till the fifteenth policy year, whichever is earlier. From sixteenth policy year and onwards, the Sum Assured on Death remains constant i.e. twice the Basic Sum Assured till the policy term ends.

VIII	समकालिक प्रस्ताव / Simultaneous Proposals	
	a क्या आपका जीवन, निगम के किसी अन्य कार्यालय में या किसी अन्य बीमाकर्ता के समक्ष बीमा या पुनर्चलन के लिए आवेदन हेतु स्वीकृत किया गया है या विचाराधीन है? यदि हाँ, तो विवरण दें। Is your life now being proposed for another assurance or an application for revival of a policy on your life or any other proposal under consideration in any office of the Corporation or to any other insurer? If yes, give details.	Y / N
	b क्या जीवनसाथी और बच्चों के जीवन पर एक साथ प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो विवरण दें / Whether proposed simultaneously on the life of spouse and children? If yes, given details.	Y / N
IX	निपटान विकल्प (सम्बंधित योजना की शर्तों के तहत) / Settlement Option (as per the plan conditions)	
	क्या आप "किस्तों में परिपक्वता लाभ लेने के लिए विकल्प" का लाभ उठाना चाहते हैं : Do you wish to avail "Option to take Maturity Benefit in Instalments".	हाँ / ना Yes / No
	क्या आप "किस्तों में मृत्यु लाभ लेने का विकल्प" का लाभ उठाना चाहते हैं : Do you wish to avail "Option to take Death Benefit in Instalments".	हाँ / ना Yes / No
	यदि 'हाँ', तो कृपया उस परिशिष्ट को भरें जो प्रस्ताव फॉर्म का एक हिस्सा है। If "Yes", Kindly fill the addendum which forms a part of the proposal form.	
	नोट : आपके पास दावे के भुगतान की प्राप्ति के तरीके को बदलने का विकल्प के कुछ भाग का किस्त दावे के बिंदु तक की अवधि तक होगा / Note : You will have the option of altering the mode of receipt of payment of claim from lumpsum to instalment and vice versa during the policy duration till the point of claim.	
X	क्या आप ग्राहक पोर्टल में पंजीकृत हैं / Are you registered with LIC Portal : <input type="checkbox"/> हाँ / ना Yes / No यदि हाँ, तो कृपया ग्राहक आई डी दें / If yes, give Customer ID _____ यदि नहीं, तो कृपया हमारी वेब पेज www.licindia.in पर जाएं और ई-सेवाओं का लाभ उठाने के लिये इस प्रस्ताव के पूरा होने के बाद एल.आई.सी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें If not, Please visit our site www.licindia.in and register yourself with LIC Portal after completion of this proposal to avail the benefit of e-services.	

बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगुठा निशान
Signature / Thumb impression of the life to be assured

**खंड - III : स्वास्थ्य और आदतों का व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण
Section-III : Personal and family details of health & habits**

I	व्यक्तिगत स्वास्थ्य / Personal Health			
	क) कृपया सही उंचाई (से.मी.में) एवं वजन (किग्रा में) लिखें (जूतों के बगैर) a) Please state exact height (in cms) and weight (in Kgs) (without shoes)	उंचाई Height		वजन Weight
	ख) क्या आपने पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी ऐसी बीमारी के लिये जिसमें एक सप्ताह से अधिक समय तक उपचार की आवश्यकता रही हो, किसी चिकित्सक से परामर्श लिया है? यदि हाँ तो पूरा विवरण दीजिए b) During the last five years did you consult a Medical Practitioner for any ailment requiring treatment for more than a week? If yes, give details	हाँ / ना	Yes / No	
	ग) क्या आपको कभी भी सामान्य जाँच, देखभाल, उपचार या किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा के लिए किसी आस्पताल या नर्सिंग होम में दाखिल किया गया है? यदि हाँ तो पूरा विवरण दीजिए c) Have you ever been admitted to any hospital or nursing home for general check up, observation, treatment or operation? If yes, give details	हाँ / ना	Yes / No	
	घ) क्या आप पिछले पाँच वर्षों के दौरान स्वास्थ्य के आधार पर आपने कार्य से अनुपस्थित रहे हैं? यदि उत्तर हाँ तो पूरा विवरण दीजिए d) Have you remained absent from place of work on grounds of health during the last 5 years? If yes, give details	हाँ / ना	Yes / No	
	ड) क्या आप निम्नलिखित रोगों से ग्रस्त हैं या ग्रस्त रह चुके हैं या पूर्व में जांच-परीक्षा करा चुके हैं या आपके निम्न रोगों की जांच-परीक्षा या उपचार करवाने की सलाह दी गई थी? e) Are you suffering from or have you ever suffered or undergone investigation in the past or have you been advised to undergo investigation or treatment for the following ailments :			

बीमारियाँ / Diseases		‘हाँ’ या ‘नहीं’ ‘Yes’ or ‘No’		
1) फेफड़े / श्वसन रोग / लगातार खांसी, अस्थमा, ब्रॉकाइटिस, निमोनिया, थूक में खून आना आदि ? 1) Lungs/Respiratory Disease/Persistent cough, asthma, bronchitis, pneumonia, spitting of blood etc.				
2) उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, आमवातिक बुखार, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट, दिल या धमनियों की कोई भी बीमारी ? 2) Hypertension; Hypotension, rheumatic fever, pain in chest, breathlessness, palpitation, any disease of the heart or arteries?				
3) पेटिक अल्सर/कोलाइटिस, पीलिया, एनीमिया, बवासीर, पेशिया या पेट की अन्य बीमारियाँ, जिगर, तिल्ली, पित्ताशय या अग्नाशय/पाचन विकार के कोई भी अन्य रोग। 3) Peptic ulcer/colitis, jaundice, anaemia, piles, dysentery, or any other disease of the stomach, liver, spleen, gall bladder or pancreas/digestive disorder				
4) गुर्दे/प्रोस्टेट या मूत्र प्रणाली की कोई भी बीमारी ? 4) Any disease of kidney/prostate or urinary system?				
5) पक्षाघात/मिर्गी/पागलपन/कंपन, सुनता, दोहरी दृष्टि, चक्कर या बेहोशी/सिर पर चोट/अनिद्रा/नर्वस ब्रेकडाउन/मस्तिष्क वा स्नायु प्रणाली के कोई भी अन्य रोग। 5) Paralysis/epilepsy/insanity/tremors, numbness, double vision, dizzy or fainting spells/head injury/insomania/nervous breakdown/any other disease of the brain or the nervous system				
6) हर्निया/जलवृषण, वैरिकोसिल, नालब्रण, वैरिकाज़ नसे, फाइलेरिया सूजाक, उपदंश या कोई अन्य वेनेरल रोग ? 6) Hernia/hydrocele, varicocele, fistula, varicose veins, filariasis, gonorrhoea, syphilis, or any other venereal disease?				
7) कैंसर/ल्यूकेमिया/लिम्फोमा/ट्यूमर/पुटी/कोई अन्य वृद्धि/गांठ/रक्त विकार/विस्तृत ग्रंथियाँ ? / 7) Cancer/Leukemia/Lymphoma/Tumour/Cyst/Any other growth/lumps/Blood disorder/enlarged glands.				
8) दोषपूर्ण दृष्टि या सुनने की क्षमता और कान से स्राव सहित, कान, नाक, गले या आँखों का कोई भी रोग ? 8) Any disease of ear, nose, throat or eyes, including defective sight or hearing and discharge from the ears.				
9) क्या कभी मधुमेह हुआ है/ मधुमेह से पीड़ित रहे हैं या मूत्र से शर्करा, एल्बुमिन, मवाद या खून जाता रहा है/गोयट्रे/थायरॉइड या अन्य अंतः स्त्रावी विकार हो चुके हैं ? 9) Endocrine disorders such as Diabetes, Goitre, Thyroid etc or have you ever passed sugar, albumin, pus or blood in urine.				
10) हड्डी/जोड़/रीढ़ का रोग/गठिया ? 10) Bone/Joint/Spine Disease/Arthritis?				
11) मानसिक विकार (डिप्रेशन चिंता, आदि) ? 11) Mental Disorder (Depression/Anxiety, etc.)				
12) पुराना संक्रामक रोग- क्षय रोग/फुफ्फुस आवरण शोथ/त्वचा रोग/त्वचा एरुप्शन/कुष्ठरोग ? 12) Chronic infections-Tuberculosis/pleurisy/Skin Disease/skin eruption/Leprosy?				
13) हेपेटाइटिस या एड्स और एचआईवी से संबंधित स्थिति 13) Hepatitis or AIDS & HIV related condition.				
14) कोई ऑपरेशन, दुर्घटना या चोट / कोई भी शारीरिक दोष या विकृति ? 14) Any operation, accident or injury / any bodily defect or deformity?				
15) कोई अन्य रोग ? 15) Any other disease?				
f) यदि बिंदु 'ई' में वर्णित किसी प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो कृपया निम्नानुसार विवरण दें, (यदि अस्पताल में थे, तो डिस्चार्ज सारांश संलग्न करें और सभी जाँच कागजातों को प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें। / If answer to any of the questions mentioned in 'e' above is yes, please give details as below (if hospitalized, enclose the discharge summary and all investigation papers along with the proposal form.)				
रोग/बीमारी की प्रकृति Nature of disease/illness	रोग के पता चलने की तारीख Date of Diagnosis	पुरी तरह से ठीक हो गए (हाँ / ना) Fully recovered (Yes / No)	अभी भी उपचार चल रहा है (हाँ / ना) यदि हाँ उपचार का विवरण दें Still on treatment (Yes / No), If yes give details of treatment	चिकित्सक/अस्पताल का नाम और पता Name and address of Doctor/Hospital
II व्यक्तिगत आदतें / Personal Habits				
क्या आप धूमपान करते हैं या आपने कभी धूमपान किया है / निम्न का उपभोग करते हैं सेवन किया है / Do you smoke / consume or have you ever smoked / consumed the following : (a, b, c) :		हाँ/नहीं यदि हाँ तो मात्रा व अवधि (Yes / No), If yes, quantity consumed and duration		यदि उपयोग बन्ध किया है, तो कितने माह से, If stopped, since how many months
a) मद्यपान / Alcoholic Drinks				
b) नशीले पदार्थ / Narcotics				
c) अन्य कोई मादक द्रव्य, यदि हाँ है, तो कौन सा. / Any other drugs, If yes, which one				
d) क्या आपने पिछले 60 माह तक किसी भी रूप में तंबाकू (तंबाकू उत्पाद में सम्मिलित है लेकिन तम्बाकू, सिगार, सिगारेट, बीडी, चबाने वाले तम्बाकू, तथा खुसबू दार पान मसाला आदि तक सीमित नहीं हैं), का धूमपान करते हैं या आपने कभी धूमपान किया है/का उपभोग करते हैं या किया है (स्टिक/पैकेट आदि प्रति दिन ओर ग्राम प्रति दिन) / Do you smoke/consume or have you smoked/consumed tobacco in any form (Tobacco product includes but not limited to cigars, cigarettes, beedis, chewable tobacco like Gutkha, flavored paan masala, etc) in the past 60 months. (in sticks / packets/sachets/day or gms/day)				

III	सामान्यतः आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहती है ? / What has been your usual state of health?			
IV	पारिवहिक विवरण / Family details			
1.	क्या आपके माता-पिता, जीवनसाथी, पार्टनर/बच्चे या अन्य कोई सम्बन्धी कभी भी हृदय रोग; स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर की बीमारी या किसी वंशानुगत रोग, पागलपन या किसी संक्रामक रोग से, जैसे की क्षय रोग, हेपेटाइटिस, एडस / एचआईवी आदि से ग्रसित रहे हैं, या मृत्यु हुई है, यदि हाँ, कृपया उल्लेख करें। Have your parents / spouse / Partner / children and / or any of your relations ever suffered from or died of heart disease, stroke, high blood pressure, diabetes mellitus, cancer, kidney disease or any hereditary disorders, Insanity, or any contagious diseases such as tuberculosis, hepatitis, AIDS/HIV etc.? If yes, please specify			
	(अ) बीमारी का नाम / (a) Name of the disease			
	(आ) बीमित व्यक्ति से संबंध / (b) Relationship with the life to be assured			
	(इ) मृत्यु की तिथि व वर्ष / (c) Date of Death & Age at Death			
2.	पारिवहिक इतिवृत्त / Family History			
		जीवित / Living		मृत / Dead
	आयु / Age	स्वास्थ्य की स्थिति / State of Health	मृत्यु के समय आयु Age at death	मृत्यु का कारण Cause of death
	पिता / Father			
	माता / Mother			
	भाई / Brothers			
	जीवित / Living.....			
	मृत / Dead.....			
	बहने / Sisters			
	जीवित / Living.....			
	मृत / Dead.....			
	पत्नी/पति / Wife/Husband			
	बच्चे / Children			
	जीवित / Living.....			
	मृत / Dead.....			
V	केवल महिला प्रस्तावकों हेतु / For Female Proponents only			
	क्या आप गर्भवती हैं ? Are you pregnant now? (a)	अंतिम प्रसव दिनांक Date of last delivery (b)	क्या आपका कभी गर्भपात या गर्भस्त्राव या सीजेरियन हुआ था ? यदि हाँ, तो विवरण दीजिये। Have you had any abortion or miscarriage or Caesarian section? If so, give details (c)	क्या आपने कभी भी प्रसुती सम्बन्धी बीमारी हेतु किसी प्रकार जांच या इलाज या प्रसुती चिकित्सक की सलाह प्राप्त की है या किसी प्रसुती चिकित्सक से परामर्श किया है: (यदि उत्तर हाँ है, तो पूरा विवरण दीजिए)/Have you ever consulted a gynecologist or undergone any investigation, treatment for any gynaec ailment? (If Yes, give details) (d)
	पति का विवरण / Husband's details			
	पति का पूरा नाम / Husband's full Name			
	उनका व्यवसाय / His Occupation			
	उनकी वार्षिक आय / His annual income			
	पति के जीवन बीमा पोलिसियों से संबंधित विवरण / DETAILS OF HUSBAND'S INSURANCE			
	पालिसी संख्या Policy number	शाखा/मण्डल कार्यालय/अन्य बीमा कंपनी का नाम जहाँ से पूर्व पालिसियाँ ली गई है /Name of Branch/Division/Name of the insurer (if other than LIC) from where policy has been taken	बीमा राशि Sum Assured	योजना एवं अवधि Plan and Term
				पालिसी की वर्तमान स्थिति Present status of the policy

Use separate sheet for more Policies.

खंड - IV : घोषणा / Section IV : Declaration

बीमे के लिये प्रस्तावित व्यक्ति / प्रस्तावक द्वारा घोषणा / DECLARATION BY THE LIFE TO BE ASSURED / PROPOSER

मैं _____ जिसे इसमें जीवन बीमा के लिए प्रस्तावित किया गया है, एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रकथन और उत्तर मेरे द्वारा प्रश्नों को पूरी तरह समझ लेने के बाद दिए गए हैं और वह सही हैं तथा प्रत्येक विवरण पूर्ण है और मैंने कोई सूचना छिपाई नहीं है, मैं एतद द्वारा इस बात से सहमत हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि ये प्रकथन और यह घोषणा मेरे और भारतीय जीवन बीमा निगम के मध्य बीमा अनुबंध के आधार होंगे और यदि इसमें कोई असत्य कथन पाया जायेगा तो अनुबंध के रूप में समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

किसी प्रचलित कानून रीति रिवाज, रस्म या प्रथा के कारण किसी भी चिकित्सक, अस्पताल और/या नियोक्ता को गोपनीयता के आधार पर मेरे स्वास्थ्य या नौकरी से संबंधित किसी भी जानकारी या सूचना के प्रकट करने पर प्रतिबंध होते हुए भी मैं, मेरे उत्तराधिकारी वसीयती, प्रबंधकर्ता, कारिन्दा/मुखतार अध्वर्या या अन्य कोई व्यक्ति, जिनके किसी प्रकार के भी हित मुझे जारी की जानेवाली प्रसंविदा में निहित है, एतद द्वारा सहमत देते हैं कि ऐसे व्यक्ति या संस्थान जिनके पास इस प्रकार की कोई सूचना हो, वे भारतीय जीवन बीमा निगम को ऐसी सूचना देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि प्रस्ताव किये जाने की दिनांक के बाद किंतु प्रथम प्रीमियम रसीद जारी होने के पूर्व यदि (1) मेरे व्यवसाय में कोई परिवर्तन हो जाता है या मेरी आर्थिक स्थिति अथवा मेरे या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रतिकूल परिस्थिती उत्पन्न हो जाती है अथवा यदि (2) मेरा कोई बीमा प्रस्ताव या पॉलिसी का पुनर्चलन करने के लिए निगम के किसी कार्यालय को प्रस्तुत किया गया कोई आवेदन पत्र वापस ले लिया जाता है या रद्द, स्थगित या अस्वीकृत कर दिया जाता है या अतिरिक्त बीमा शुल्क या गहन (थाह) के आधार पर स्वीकृत किया जाता है अथवा प्रस्तावित शर्तों के अलावा अन्य शर्तों पर स्वीकार किया जाता है तो बीमा स्वीकार किये जाने संबंधी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिए निगम की आवश्यक लिखित रूप से तत्काल सूचना प्रेषित करूंगा/करूंगी। मेरी ओर से सूचना प्रेषित करने में किसी प्रकार की असावधानी होने पर समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध पर कार्यवाही की जायेगी।

मैं केवाईसी दस्तावेजों जैसे आदि निवास में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत निगम को सूचित करूंगा। मैं सेट्रल केवाईसी रजिस्ट्री के साथ आपने डेटा को साझा करने और इस संबंध में केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से फोन / एसएमएस / ई-मेल प्राप्त करने के लिए भी अपनी सहमति देता हूँ।

मैं समझता हूँ कि निगम जीवन बीमा के इस प्रस्ताव पर वैकल्पिक शर्तें स्वीकार / स्थगित / छोड़ने / अस्वीकार करने या प्रस्तावित शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तों पर स्वीकृत करने अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के संबंध में / बीमा पॉलिसियों की सर्विसिंग / इंश्योरेंस अवेयरनेस बढ़ाने / अधिसूचित करने से संबंध में / दावा आदि की स्थिति के बारे में निगम की ओर से उपर दिए गए पंजीकृत मोबाईल नंबर / ई-मेल पते पर फोन कॉल, एसएमएस/ ई-मेल प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ।

मैं यह भी समझता हूँ कि पॉलिसी के तहत प्रीमियम और लाभ समय-समय पर लागू कानूनों के अनुसार कर/शुल्क के अधीन हैं।

I, _____ the person whose life is herein being proposed to be assured, do hereby declare that the foregoing statements and answers have been given by me after fully understanding the questions and the same are true and complete in every particular and that I have not withheld any information and I do hereby agree and declare that these statements and this declaration shall be the basis of the contract of assurance between me and the Life Insurance Corporation of India and that if any untrue averment be contained therein the said contract shall be dealt with as per provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.

Notwithstanding the provision of any law, usage, custom or convention for the time being in force prohibiting any doctor, hospital, diagnostic center and/or employer reinsurer / credit bureau from divulging any knowledge or information about me concerning my health or employment, occupation, insurance, financial etc. on the grounds of privacy. I, my heirs, executors, administrators and assignees or any other person or persons, having interest of any kind whatsoever in the policy contract issued to me, hereby agree that such authority, having such knowledge or information, shall at any time be at liberty to divulge any such knowledge or information to the Corporation, and the Corporation to divulge the same to any Authorised Organisation / Institution / Agency / and Governmental / Regulatory Authority for the sole purpose of underwriting / investigation / risk mitigation / fraud control and/or claim settlement. And I further agree that if after the date of submission of the proposal but before the issue of First Premium Receipt (i) any change in my occupation or any adverse circumstances connected with my financial position or the general health of myself or that of any members of my family occurs or (ii) if a proposal for assurance or an application for revival of a policy on my life made to any office of the Corporation is withdrawn or dropped, deferred or accepted at an increased premium or subject to a lien or on terms other than as proposed, I shall forthwith intimate the same to the Corporation in writing to reconsider the terms of acceptance of assurance. Any omission on my part to do so shall render this contract to be dealt with as per provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.

I undertake to inform the Corporation immediately of any changes in KYC documents such as residence. I also give my consent to share my data with Central KYC Registry and to receive phone calls, SMS/E mail from Central KYC registry in this regard. .

I understand that the Corporation reserves the right to accept/Postpone/drop/decline or offer alternate terms on this proposal for life insurance.

I hereby give my consent to receive phone calls, SMS/E-mail on the above mentioned registered number/E-mail address from/on behalf of the Corporation with respect to my life insurance policy/ regarding servicing of insurance policies/enhancing insurance awareness/notifying about the status of Claim etc.

I also understand that the premium and benefits under the policy are subject to taxes / duties/charges in accordance with the laws as applicable from time to time.

दिनांकित / Dated at _____ तारीख / on the _____ माह / day of _____ 20_____

साक्षी के हस्ताक्षर
Signature of Witness _____

नाम / Name _____

व्यवसाय / Occupation _____

पता / Address _____

(बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)
(Signature or Thumb impression of the life to be assured)

वर्नाकुलर डिक्लेरेसन / VERNACULAR DECLARATION

1. यह घोषणा प्रपत्र भरने वाले व्यक्ति के द्वारा की जानी चाहिये (प्रस्ताव प्रपत्र में दी गई भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में यदि प्रपत्र भरा/हस्ताक्षरित किये जाने के सम्बन्ध में या बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति शारीरिक रूप से बिकलांग व्यक्ति प्रस्ताव पत्र स्वयं भरने में सक्षम न हो)। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति को उपरोक्त प्रश्न भलीभांति _____ भाषा में समझा दिए हैं और उसके द्वारा दिए गए उत्तरों सत्यता पूर्वक तथा बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने पूर्णतया समझने के बाद ही अपना अंगूठे का निशान / हस्ताक्षर स्थापित किया है / लिखा है। / Declaration by the person filling in the form (in case form is filled up / signed in a

language different from that of the Proposal Form or in case the Life to be Assured is person with disability (PWD) where he / she is not able to fill the proposal form himself / herself "I hereby declare that I have fully explained the above questions to the Life to be assured in _____ language and I have truthfully recorded the answers given by the Life to be Assured and Life to be assured has affixed the thumb impression / signature as below after fully understanding the contents thereof."

घोषणाकर्ता का नाम

Name of the Declarant _____

घोषणाकर्ता का पता

Address of the Declarant _____

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर / Signature of Declarant _____

"मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रपत्र और कागजातों का विषय पूरी तरह से मुझे श्री/श्रीमती _____ (नाम, पदनाम, व्यवसाय) द्वारा _____ भाषा में बताया गया है और मैंने प्रस्तावित अनुबंध के महत्व को समझ लिया है। / I certify that the contents of the form and documents have been fully explained to me by (Name designation, Occupation) Mr /Mrs _____ in _____ language and I have understood the significance of the proposed contract.

(बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)
(Signature or Thumb impression of the life to be assured)

अनपढ़ प्रस्तावक के लिए / FOR ILLITERATE PROPONENT

2. यदि प्रस्तावक अनपढ़ है तो प्रस्तावक की अंगूठा निशानी, किसी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा जिसकी पहचान सरलता से हे सकती है और जो निगम से संबंधित न हो, प्रमाणित की जानी चाहिए तथा उन्हे यह घोषणा भी करनी चाहिए)।

"मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने प्रस्तावक और/या/ बीमार्थी को प्रस्तावपत्र के प्रश्न और अन्य विषय वस्तु का अर्थ..... भाषा में पूर्णतः समझा दिया है और प्रस्तावक/बीमार्थी ने उहे भलीभांति समझने के बाद ही प्रस्तावपत्र पर अपना अंगूठा निशान लगाया है।"/

In case the Life to be assured is illiterate his / her thumb impression should be attested by a person of standing whose identity can easily be established, but unconnected with the Corporation and this declaration should be made by him/her.

" I hereby declare that I have fully explained the above questions and contents of the proposal form to the Life to be Assured in _____ language, and that the Life to be Assured has affixed the thumb impression above after fully understanding the contents thereof."

घोषणाकर्ता का नाम

Name of the Declarant _____

घोषणाकर्ता का पता

Address of the Declarant _____

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर / Signature of Declarant _____

Mobile No. of Declarant :- _____

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार / SECTION 45 OF THE INSURANCE ACT, 1938

1. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी की तिथि से अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से या पॉलिसी पर राइडर की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है।

1. No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e. from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.

2. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को. पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर किसी समय, जो भी बाद में हो, घोखेघड़ी के आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है।

शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर यह पैसला लिया गाय है।

स्पष्टीकरण I : इस उप-धारा के प्रयोजन हेतु, घोखेघड़ी का अर्थ है बीमाधारक या उसके एजेन्टों द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रभावित करने के इरादे से किया निम्नलिखित में से कोई कार्य:

- सुझाव, जो कि तथ्य रूप में सही नहीं है तथा जिसके सच होने पर बीमाधारक को विश्वास नहीं है;
- बीमाधारक द्वारा किसी तथ्य को छिपाना, जो उसकी जानकारी में था या उसकी वास्तविकता पर उसे विश्वास था;
- धोखाधड़ी के इरादे से उठाया गया कोई अन्य कदम; तथा
- कोई अन्य ऐसा कदम या भूल-चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी मानता हो।

स्पष्टीकरण II : बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमाधारक या उसके एजेन्ट का यह कर्तव्य है। बोलने से चुप रहना या अन्यथा उसकी खामोशी अपने आप में बोलने के बराबर हो।

2. A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground of fraud:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and the materials on which such decision is based.

Explanation I - For the purpose of this sub section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy:

- The suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true;
- The active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact;
- Any other act fitted to deceive; and
- Any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

Explanation II - Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent, keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself equivalent to speak.

3. उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखेधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमा धारक/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था। धोखेधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसी धारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण : कोई व्यक्ति जो बीमा की संविदा का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेंट माना जाएगा।

3. Notwithstanding anything contained in sub-section (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the mis statement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intension to suppress the fact or that such mis-statement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer:

Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

Explanation: A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be agent of the insurer.

4. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी करने की तिथि से या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्नों के लिए बुलाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्थाव प्रपत्र में या किसी अन्य कागजात में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था।

शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होना, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह फैसला लिया गया है। आगे शर्त यह है कि महत्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखेधड़ी की स्थिति न होने पर अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा किए गए सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमाधारक या बीमादारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमाधारक को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

4. A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on ground of fraud, the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.

Explanation - For the purposes of this sub-section, the mis-statement of or suppression of fact shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.

5. इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी को सिर्फ इसलिए प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है क्यों कि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।
5. Nothing in this section shall prevent the Insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 / In accordance with the applicable Provision of Section 41 of The Insurance Act, 1938

“ भारत में कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को जीवन अथवा जोखिम संबंधी बीमा लेने, नवीकरण करने अथवा उसे जारी रखने के लिए प्रलोभन हेतु अथवा देय कमीशन का पूर्ण अथवा आंशिक भाग अथवा पॉलिसी में वर्णित प्रीमियम पर कोई छूट नहीं दे सकता सिवाय उस छूट के जो बीमाकर्ता के विवरण पत्र अथवा सूची में प्रकाशित है।”

"No person shall allow or offer to allow, either directly or indirectly, as an inducement to any person to take out or renew or continue an insurance in respect of any kind of risk relating to lives or property in India, any rebate of the whole or part of the commission payable or any rebate of the premium shown on the policy, nor shall any person taking out or renewing or continuing a policy accept any rebate, except such rebate as may be allowed in accordance with the published prospectus or tables of the insurer."

निपटान विकल्प के लिए प्रस्ताव पत्र का परिशिष्ट (परिपक्वता लाभ के लिए)
Addendum to Proposal Form for Settlement Option (for Maturity Benefit)
 (बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति द्वारा दिया जाए / To be furnished by the Life to be Assured)

प्रस्ताव संख्या / Proposal No.

क्या आप प्रस्ताव के तहत निपटान विकल्प (परिपक्वता हितलाभ के लिए) का लाभ उठाना चाहते हैं? हाँ / नहीं

Do you wish to avail Settlement Option (for Maturity Benefit) under the proposal? Yes / No

यदि हाँ, तो टिक / स्ट्राइकआउट (यदि लागू नहीं है) निम्नलिखित करें / If yes, please Tick / Strikeout (if not applicable) the following

1. निपटान विकल्प के लिए अवधि (वर्षों में) : 5 / 10 / 15
1. Period for settlement option (in years) : 5 / 10 / 15 (As applicable under the plan)
2. क्या निपटान विकल्प (परिपक्वता हित लाभ के लिए) आंशिक राशी हेतु अपेक्षित है, : लाभ प्राप्ति की राशि पूर्ण / आंशिक यदि आंशिक में, तो हितलाभ प्राप्ति की राशि / प्रतिशत निर्दिष्ट करें :
2. Whether Settlement Option (for Maturity Benefit) is required for : Full / Part of the benefit proceeds. If in part, specify the amount / percentage of the benefit proceeds :
पूर्ण राशि / Absolute amount
हितलाभ आय का प्रतिशत / Percentage of benefit proceeds
3. किस्त भुगतान का तरीका : वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / मासिक / Mode of Instalment payment : Yearly / Half - Yearly / Quarterly / Monthly
बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति जिनका जीवन बीमा कराया जाना है, द्वारा आश्वस्त किए जाने वाले विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि (जैसा कि नीचे उल्लेखित है) प्रदान करने के लिए आवश्यक राशि से कम है, तो दावा प्रक्रिया का भुगतान केवल एकमुश्त किया जाएगा।
If the Net Claim Amount is less than the required amount to provide the minimum instalment amount (as mentioned below) as per the option exercised by the Proposer Life to be Assured, the claim proceed shall be paid in lump sum only.

किस्त भुगतान की विधि / Mode of Instalment Payment	न्यूनतम किस्त राशि Rs. / Minimum Instalment Amount
मासिक / Monthly	Rs. 5,000/-
त्रैमासिक / Quarterly	Rs. 15,000/-
अर्धवार्षिक / Half-Yearly	Rs. 25,000/-
वार्षिक / Yearly	Rs. 50,000/-

दिनांक और स्थान :

Date & Place :

बीमित व्यक्ति का नाम

Name of Life to be Assured :

बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगुठा निशान
Signature / Thumb impression of the Life to be Assured

किस्तों में मृत्यु लाभ लेने के लिए विकल्प के लिए प्रस्ताव के लिए परिशिष्ट
Addendum to Proposal Form for Option to take Death Benefit in Instalment
 (बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति द्वारा दिया जाए / To be furnished by the Life to be Assured)

प्रस्ताव संख्या / Proposal No.

क्या आप प्रस्ताव के तहत किस्तों में मृत्यु लाभ लेने का विकल्प चाहते हैं? यदि हाँ, तो टिक / स्ट्राइकआउट (यदि लागू नहीं है) निम्नलिखित करें हाँ / नहीं

Do you wish to avail Option to take Death Benefit in Instalments under the proposal? Yes / No

यदि हाँ, तो टिक / स्ट्राइकआउट (यदि लागू नहीं है) निम्नलिखित करें / If yes, please Tick / Strikeout (if not applicable) the following

1. किस्तों में मृत्यु लाभ लेने के लिए विकल्प की अवधि (वर्षों में) : 5 / 10 / 15 (As applicable under the plan)
1. Period for Option to take Death Benefit in Instalments (in years) : 5 / 10 / 15
2. क्या किस्तों में मृत्यु लाभ लेने का विकल्प आवश्यक है : लाभ प्राप्ति की राशि का पूर्ण / आंशिक यदि आंशिक में, लाभ प्राप्ति की राशि / प्रतिशत निर्दिष्ट करें :
2. Whether Option to take Death Benefit in Instalments is required for : Full / Part of the benefit proceeds. If in part, specify the amount / percentage of the benefit proceeds :
पूर्ण राशि / Absolute amount
हितलाभ आय का प्रतिशत / Percentage of benefit proceeds
3. किस्त भुगतान का तरीका वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / मासिक / Mode of Instalment payment : Yearly / Half - Yearly / Quarterly / Monthly
बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति जिनका जीवन बीमा कराया जाना है, द्वारा आश्वस्त किए जाने वाले विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि (जैसा कि नीचे उल्लेखित है) प्रदान करने के लिए आवश्यक राशि से कम है, तो दावा प्रक्रिया का भुगतान केवल एकमुश्त किया जाएगा।
If the Net Claim Amount is less than the required amount to provide the minimum instalment amount (as mentioned below) as per the option exercised by the Proposer / Life to be Assured, the claim proceed shall be paid in lump sum only.

किस्त भुगतान की विधि / Mode of Instalment Payment	न्यूनतम किस्त राशि Rs. / Minimum Instalment Amount
मासिक / Monthly	Rs. 5,000/-
त्रैमासिक / Quarterly	Rs. 15,000/-
अर्धवार्षिक / Half-Yearly	Rs. 25,000/-
वार्षिक / Yearly	Rs. 50,000/-

दिनांक और स्थान :

Date & Place :

बीमित व्यक्ति का नाम

Name of Life to be Assured :

बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के हस्ताक्षर
या अंगुठा निशान
Signature / Thumb impression of the Life to be Assured

Eureka- 4,50,000 - 08/2022